रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2000/भाद्र 15, 1922
No. 580] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2000/BHADRA 15, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2000

का. आ. 803 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कतिपय नाशकजीवमारों के भारत में उनके निरंतर उपयोग को जारी रखने या न रखने की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था;

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि मिथौक्सि इथाईल मर्करी क्लोराईड (एम ई एम सी) के उपयोग में, आलू और गन्ने के बीज के उपचार के अलावा, मनुष्यों, पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए परिसंकट अंतर्वलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारां (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप आदेश करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :—

प्रारूप आदेश

केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मिथौक्सि इथाईल मर्करी क्लोराईड के उपयोग में, आलू और गन्ने के बीज के उपचार के अलावा, मनुष्यों, पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए परिसंकट अंतर्वलित है, अतः उक्त नाशक जीवमार के उपयोग पर राजपत्र में आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से, आलू और गन्ने के बीज के उपचार के अलावा, पूर्ण पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव करती है।

1. उन रजिस्ट्रैण्ट्स की बाबत, जो इस आदेशानुसार आधान के साथ उपांतरित लेबल/पर्ची उपलब्ध नहीं कराएंगे, मिथौक्सि इथाईल मर्करी क्लोराईड (एम ई एम सी) के बीज ड्रैसर के रूप में रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्ति को रद्द करने का प्रस्ताव है।

2. राज्य सरकार को अपनी अधिकारिता में ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त किया जाएगा जो वह इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ठीक समझे।

प्रारूप आदेश, जिसे केन्द्रीय सरकार देने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

कोई भी व्यक्ति, जो प्रारूप आदेश की बाबत सुझाव और आक्षेप देने का इच्छुक हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर विचार करने के लिए, संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली 110001 को भेज सकता है,

[फा. सं. 17-2/98-पीपी.-I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2000

S. O. 803(E).—Whereas the Central Government had set up an Expert Group to undertake review of certain pesticides in use at present and to consider their continued use or otherwise in India,

And whereas the Central Government after considering the recommendations of the said Expert Group and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 in satisfied that the use of Methoxy Ethyl Mercury Chloride (MEMC) except for seed treatment of potato and sugarcane involves health hazards to human beings, animals and environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following Draft Order, namely :—

Draft Order

Whereas the Central Government is of the opinion that the use of Methoxy Ethyl Mercury Chloride (MEMC), except for seed treatment of potato and sugarcane involves health hazards to human beings, animals and environment and therefore, proposes that the use of the said pesticide shall be banned completely except for seed treatment of potato and sugarcane from the date of the final publication of the Order in the Official Gazette.

It is proposed to cancel the registration certificate of Methoxy Ethyl Mercury Chloride (MEMC) as seed dresser in respect of those registrants who shall not provide modified labels/leaflets along with container as per this Order.

The State Government shall be empowered to take all such steps in their respective jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order.

The Draft Order which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestions or objection in respect of the said Draft Order may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), Krishi Bhavan, New Delhi–110001.

[F. No. 17–2/98–PP.–I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054